

Certificate of Land

File No.

Date: 18/0/25

Certified the land measuring 9400(Area of Land in sq.metres) is owned by Varun Varshney, Meera Varshney, Neera Varshney (Name of the owner) by way of lease deed (Sale deed / Conveyance deed / Gift deed / Allotment Letter etc. (in case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from 01.07.2019 to 30.06.2049).

It is further certified that owner of the land has leased the said to Murli Krishna Educational Trust / Doon Public School Badaria Rarpatti, Etah, U.P (Name of the School / Society / Trust / Company under section 8 of companies Act 2013) fully described in the schedule mentioned herein after with the following details for a period of 30 years from 01.07.2019 to 30.06.2049.

SL	Particulars	Details
1.	Plot No.(s) / Survey No.(s) / Khasra(s) / Khata No.(s) / Khatauni No.(s)	945, 946, 937, 926
2.	Name of street / village, Sub Division, District and State	Badaria Rarpatti Etah, U.P.

It is certified that that said entire land comprises of a single continuous plot of land. It is further certified that Doon Public School Badaria Rarpatti, Etah, U.P. run by name of Murli Krishna Educational Trust is located on the said plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 9400 situated in 945, 946, 937, 926 at Badaria Rarpatti Etah, U.P. and bounded as follows:

North: Firs Party

East: Drainage

West: Kasganj Road

South: Land of Acche Lal

DM/ADM/SDM/TEHSILDAR/NAIB TEHSILDAR/REGISTRAR/SUB REGISTRAR/EQUIVALNET LAND AUTHORITY

महोदय,
उक्त के सम्बन्ध में गांव सं. 945, 946,
937 व 926 में मिलान है तथा सम्बन्धित ले
अंकित चोखरी सभी हैं। रिपोर्ट लेवने बाद
प्रेषित।
अमर सिंह
लेखपाल
क्षेत्र... रापट्टी...

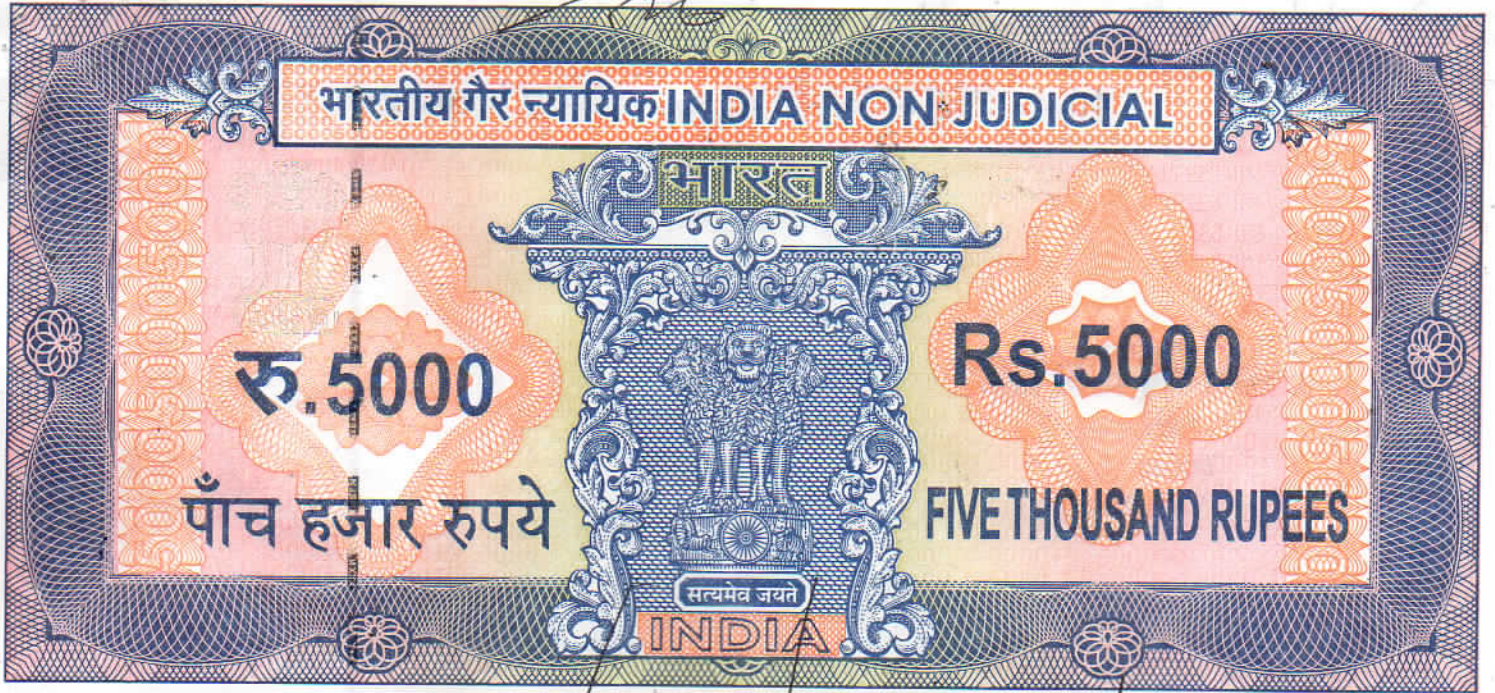
(Stamp and Signature of the land authority)

(Name of Officer)

(Name of District)

शरी

3625



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 643825

किरायानामा अबधि 30 वर्ष

हम कि वरुण वाष्णीय पुत्र श्री राकेश कुमार वाष्णीय व श्रीमती मीरा वाष्णीय पत्नी श्री राकेश कुमार वाष्णीय व श्रीमती नीरा वाष्णीय पत्नी श्री दिनेश वाष्णीय निवासीगण इन्द्रपुरी एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा मो०न० 9528299998 प्रथम पक्ष सम्पत्ति मालिक व मुरली कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट इन्द्रपुरी एटा द्वारा सचिव श्री प्रसून वाष्णीय पुत्र श्री दिनेश वाष्णीय निवासी इन्द्रपुरी एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा मो०न० 9045368880 द्वितीय पक्ष किरायेदार के है। विदित होकि प्रथम पक्ष का गाटा सं० 945 व 946 व 926 व 937 में से एक किता जगह जिसका क्षेत्र 9400 वर्गमीटर है जिसकी सीमाएँ पूरब में नाला व पश्चिम में कासगंज रोड व उत्तर में प्लाट प्रथम पक्ष व

Varshney Meera Varshney Neera Varshney Varshney





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 643826

CZ 643826

2

वरिष्ठ कोषा

*

22 FEB 2019

सदर-कोषा

दक्षिण में खेत आछेलाल है जोकि मौजा रारपट्टी परगना एटा सकीट तहसील व जिला मुदा में स्थित है प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि को किराये पर उठाना चाहता है व द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि को किराये पर लेना चाहता है। अतः हम पक्षकारान के मध्य उपरोक्त भूमि को किराये पर उठाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें करार पायी है। एटा

1. यह कि किरायेदारी दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2049 तक होगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष भूमि में विद्यालय का निर्माण कराये तथा चलावे और उक्त भूमि में भवन व फर्चीचर सम्बन्धित जो भी उपकरण लगाना चाहे अपने धन से लगाये।

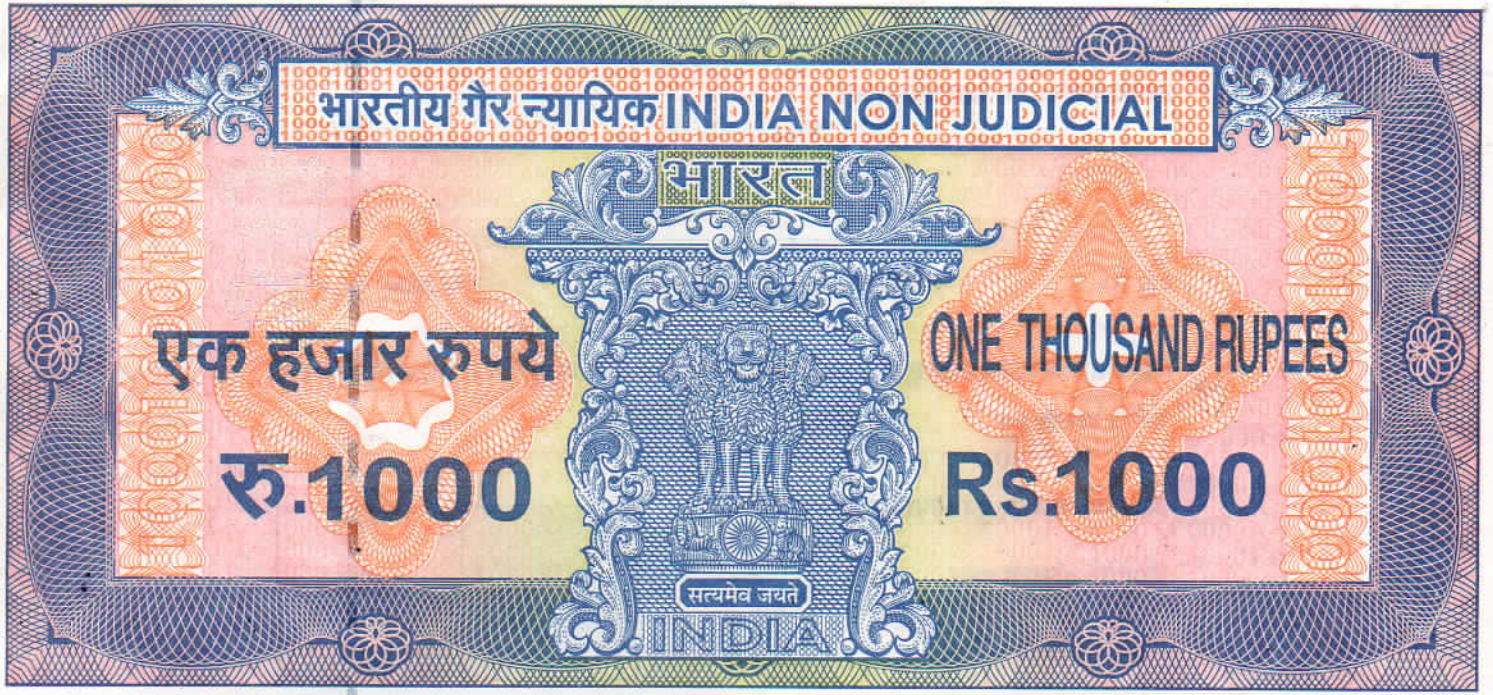
Janu Varshney

Meera Varshney

Neeraj Varshney

Varshney

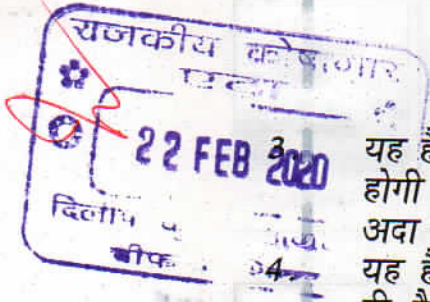




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 892930

3



यह है कि किरायेदारी की रकम जो मु0 5000/-रुपया माहवार होगी उसे हम प्रथम पक्ष को पहली तारीख से पांच तारीख तक अदा कर देंगे।

यह है कि उक्त जायदाद को विद्यालय के लिए ही किराये पर दी है और उसमें विद्यालय ही चलाया जायेगा। किसी अन्य कारोवार के लिए नहीं दिया। यदि अन्य कारोवार किया जावेगा तो किरायेनामा को निरस्त समझा जावेगा।

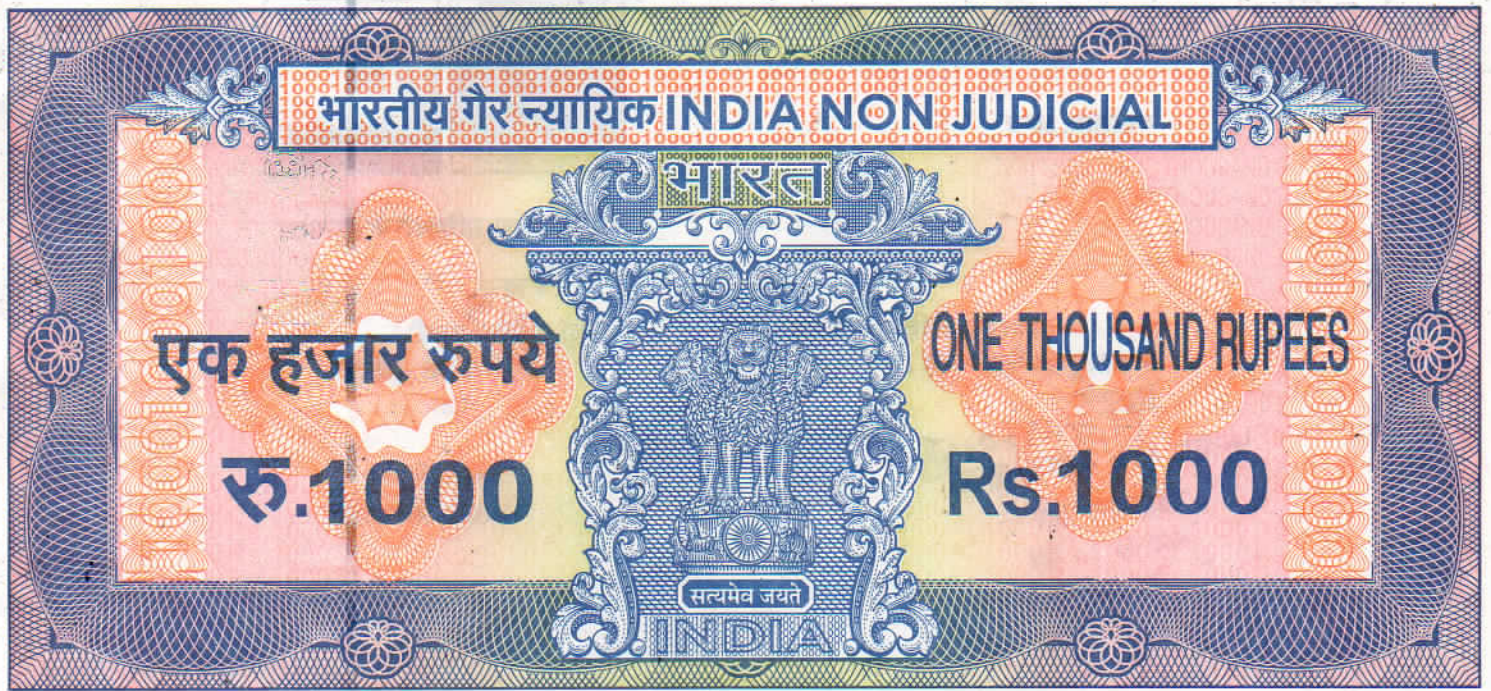
Jasun Vashney

Meera Vashney

Neeraj Vashney

Neeraj Vashney





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 892931

4



5. यह है कि उक्त भूमि में द्वितीय पक्ष किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नहीं उठा सकता। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो किरायेदारी की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा, और प्रथम पक्ष को किरायेदारी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यह है कि किरायेदारी की अवधि समाप्त होने के पश्चात द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त जायदाद वापिस कर देगा।

Varun Varshney Meera Varshney Neera Varshney Varshney

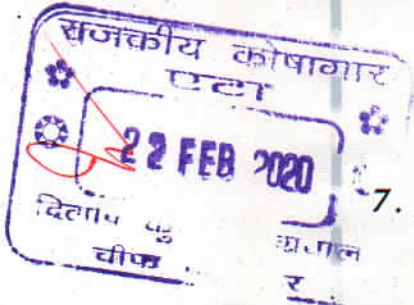




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 892932

5



7.

यह है कि भविष्य में उक्त भूमि का किराया घटाया व बढ़ाया जा सकता है जो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की आपसी सहमति से होगा।

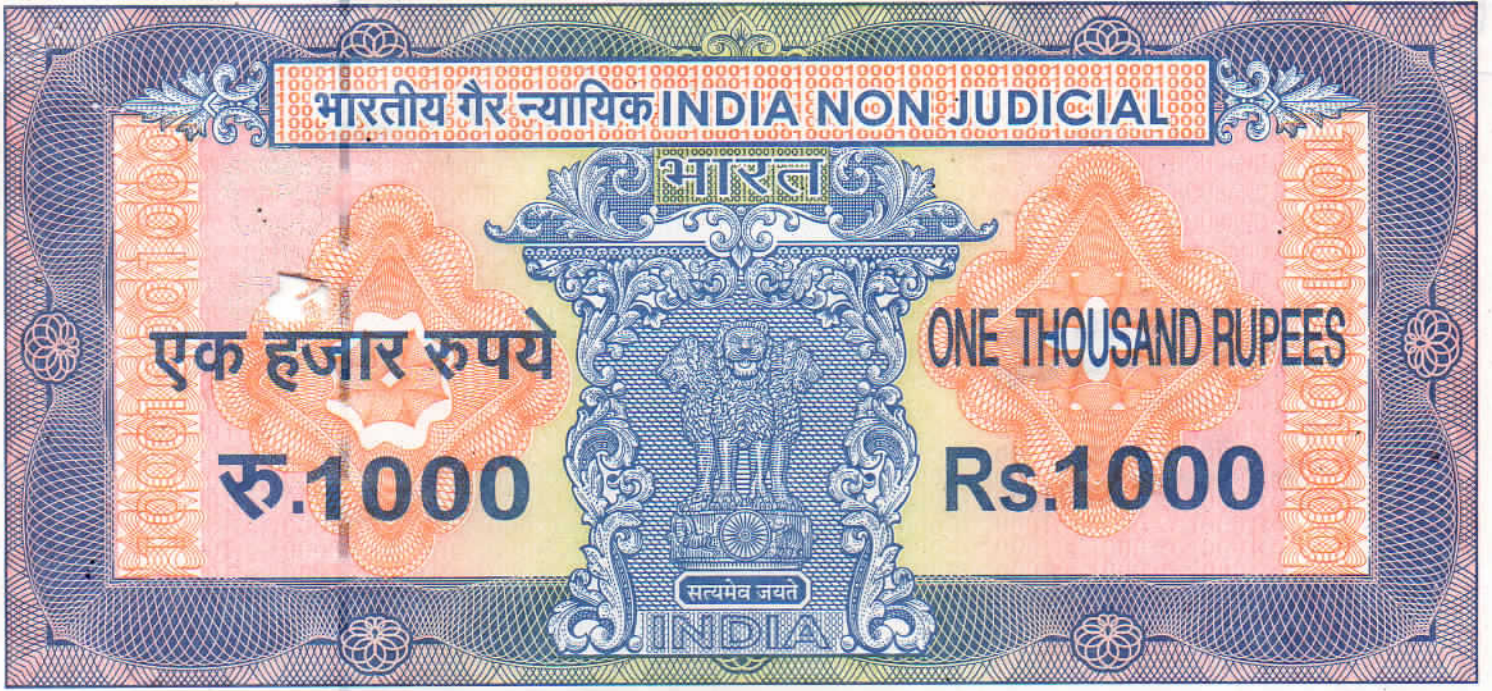
Jaum Jaumne

Meera Varshney

Meera Varshney

Meera Varshney





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 892933

6



यह है कि किरायेदारी की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपसी सहमति से किरायानामा अवधि को बढ़ाया जा सकता है जिसका करार दोनों पक्ष करेंगे।

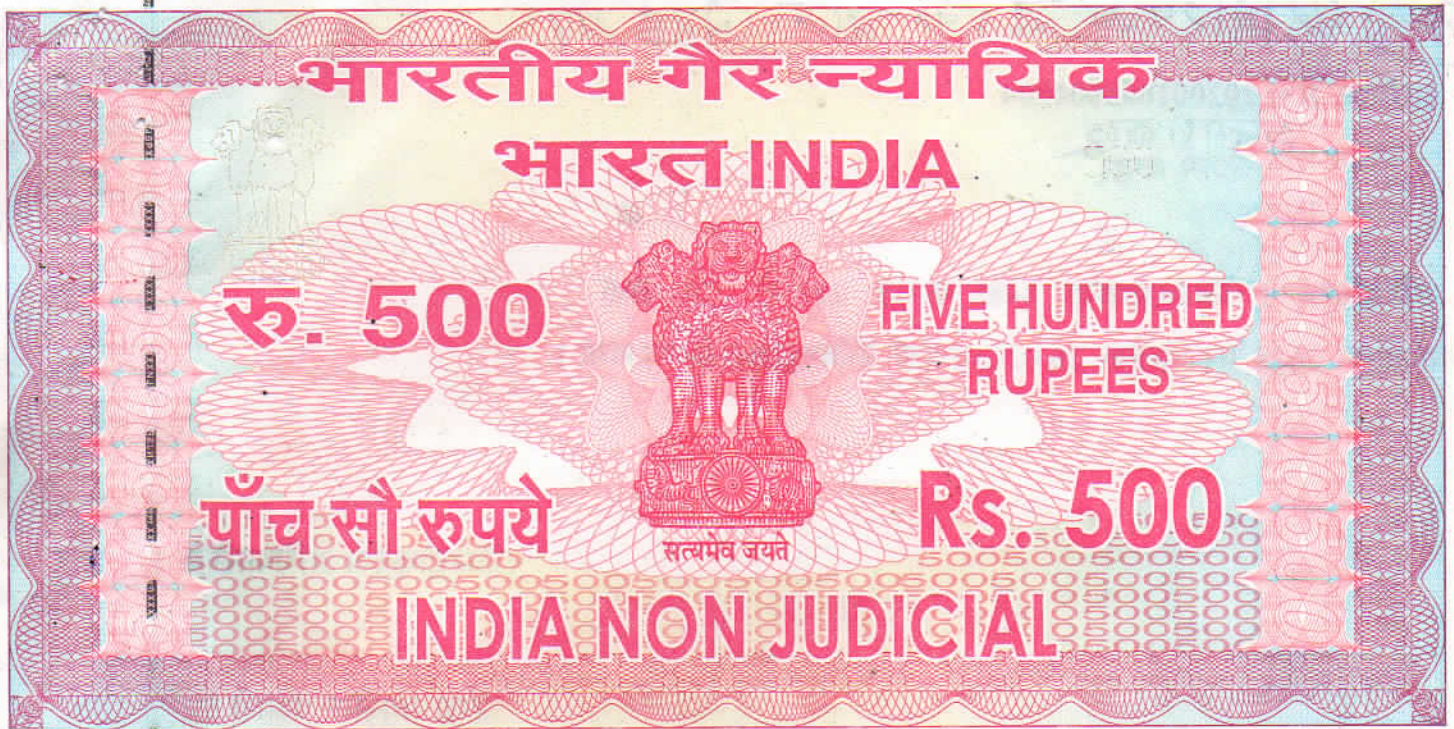
Jarun Jarshree

Meera Varshney

Neera Varshney

Trushmy

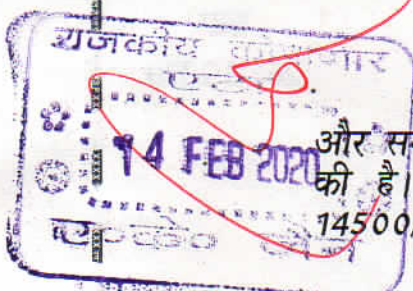




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

AE 520587



अतः यह किरायानामा तीस वर्ष के लिए लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। प्रथम पक्ष ने अपने पहिचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। किरायेनामा पर मु० 60000/- रुपया सालाना पर स्टाम्प मु० 14500/- रुपया का अदा किया गया है।

Janak Jaisne

Meera Varshney Meera Varshney

Meera Varshney

गवाह- शशीकान्त पुत्र श्री हरनारायन नि० अशोक नगर निधौली रोड, एटा।
मो०न० 9456035099

शशीकान्त

गवाह- करन सक्सेना पुत्र श्री संतोष बाबू सक्सेना नि० रैवाडी मौहल्ला एटा।
मो०न० 7055589622

करन सक्सेना

तहरीर दिनांक- 26.02.2020
झाफ्टकर्ता- शशीकान्त दस्तावेज लेखक
तहसील सदर एटा
टंकणकर्ता- सोनेलाल राजपूत

दस्तावेज लेखक का मो० 24 तक मान्य 31.02.2020
अनु० सं० 24 तक मान्य 31.02.2020
तह० व जिला 24 तक मान्य 31.02.2020
लो गयी फीस 24 तक मान्य 31.02.2020
लेखक के हस्ताक्षर